

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
क्रमांक: एफ.10 (चुनाव/सीमा)(R.I.O)डीएलबी/16/566
जिला कलेक्टर,
नागौर।

दिनांक: 30/8/17
11-9-17

विषय :-मकराना नगर परिषद की सीमा बढ़ाये जाने संबंधी।
प्रसंग:- विभागीय पत्र क्रमांक 681 दिनांक 04.10.16 क्रमांक:48
दिनांक:31.1.2017 व 373 दि.23.03.17 ।

.....
उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा नगर परिषद, मकराना की सीमा बढ़ाये जाने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र की प्रति भेजते हुए भली-भाँति परीक्षण कर अंकित तथ्यों के अनुक्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट अपनी राय सहित टिप्पणी से अवगत कराने हेतु निवेदन किया गया था, वांछित सूचना अभी तक अपेक्षित है। अतः सूचना शीघ्र भिजवाने का श्रम करावे।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी
क्रमांक: एफ.10(चुनाव/सीमा)(R.I.O)डीएलबी/16/567-69 दिनांक: 30/8/17
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-
11-9-17

1. संयुक्त सचिव (एएस), मुख्यमंत्री महोदया राजस्थान जयपुर को उनके अशा.टीप पत्र मु.म-संस(एएस)/प-1स्वा/नागौर/16/102915 दिनांक 07.09.16 के क्रम में निवेदन है कि प्रकरण में संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में जनआपत्तियों के निराकरण किया जाकर तथ्यात्मक टिप्पणी मय अभिशंषायुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभावित है। इस हेतु प्रकरण विभाग की बकाया सूची से हटाये जाने का श्रम करावे।

2. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर को विभागीय पूर्व पत्र क्रमांक 4398 दि.29.10.14।

3. नोडल अधिकारी निदेशालय ।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी